

## Chapter-23

**सेवा प्रदाय एक्ट** – म.प्र. लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 के तहत मण्डल के पत्र क्रमांक/प्रशा./स्था./ए-1/1597-98/2022, भोपाल दिनांक 20.06.2022 द्वारा निम्न सेवाएं अधिसूचित करने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया है।

अधिसूचित सेवाएं :-1- डुप्लीकेट अंकसूची

2- अंकसूची में संशोधन

3-अंकसूची का सत्यापन

4-उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्गणना।

5-उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति उपलब्ध कराना।

6-हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा की संबद्धता।

7-डी.एल.एड. एवं पी.एस.ई. की परीक्षा की संबद्धता।

उक्त सेवाएं देने हेतु मण्डल द्वारा स्वयं एम.पी.ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जाकर निर्धारित समय-सीमा निराकरण किया जाता है।